

**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**(वित्तीय बाज़ार विनियमन विभाग)**  
**(केन्द्रीय कार्यालय)**  
**अधिसूचना**  
मुंबई, 16 अक्टूबर, 2023

**विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2023**

**सं. फेमा.396(2)/2023-आरबी.** — विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 ([अधिसूचना सं. फेमा.396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर, 2019](#)) (इसके पश्चात इसे 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: –

**1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन**

- (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2023 कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम [शासकीय राजपत्र](#) में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

**2. मूल विनियमावली की अनुसूची 1 में संशोधन**

- (i) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ द के बाद, निम्नलिखित नया उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा:–  
***“ई. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7(1) के अनुसार रुपया खाता रखने वाले भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को अनुमति***  
*भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति जो [विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के विनियमन 7 (1) के अनुसार रुपया खाता रखते हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों / ट्रेजरी बिलों की खरीद या बिक्री कर सकते हैं।”*
- (ii) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2 में, खंड (4) के बाद निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:–  
*(4ए) इस अनुसूची के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ई) के अनुसार भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों की खरीद के लिए अनुरक्षित/रखे गए राशि का भुगतान [विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के विनियमन 7 (1) के अनुसार उनके रुपये के खाते में धारित निधियों द्वारा किया जाएगा।*
- (iii) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 4 में, खंड (2) के बाद निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:–  
*(2ए) [विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(जमा\) विनियमावली, 2016](#) के विनियमन 7(1) के अनुसार रुपया खाता रखने वाले भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित लिखतों की बिक्री/परिपक्वता लाभ (निवल कर, यथा लागू हो) उक्त रुपया खाते में जमा की जाएगी।*

**(डिम्पल भांडिया)**  
**मुख्य महाप्रबंधक**

**फुटनोट:-** मूल विनियमावली शासकीय राजपत्र में [दिनांक 17 अक्टूबर, 2019](#) को जी.एस.आर. सं. 796 (ई) के तहत भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किया गया था और निम्नानुसार संशोधित किया गया:

1. अधिसूचना सं. फेमा 396 (1)/2021-आरबी [\[विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(ऋण लिखत\) \(प्रथम संशोधन\) विनियमावली, 2021\]](#) दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को भारत के राजपत्र [असाधारण, भाग III-धारा 4] में, राजपत्र आईडी सीजी-एमएच-ई-21102021-230591 दिनांक 21.10.2021 के माध्यम से प्रकाशित।

Published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III–Section 4], vide Gazette ID CG-DL-E-21102023-249619 dated 20.10.2023